प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक- 04.09.2026

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला करने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त ब्लेड बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 02.09.2026 को थाना सांगीपुर पर वादी श्याम सुन्दर शुक्ला पुत्र महेश शुक्ला की तहरीर के आधार पर अभियुक्त प्रदीप मिश्रा द्वारा वादी के ससुराल ग्राम मोती का पुरवा, पहाड़पुर में गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से गले पर हमला कर घायल करने के संबंध में मु0अ0सं0 200/2026 धारा 109(1), 115(2), 352 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। प्रकरण की विवेचना उ0नि0 जगयेस कुमार द्वारा की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 200/2026 धारा 109(1), 115(2), 352 बीएनएस में वांछित अभियुक्त प्रदीप मिश्रा पुत्र स्व0 संतराम मिश्रा, निवासी ग्राम मोती का पुरवा पहाड़पुर, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर सराय सेतन मोड़ (डभियायर-रंगौली मार्ग) के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद शार्प ब्लेड बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1-प्रदीप मिश्रा पुत्र स्व0 संतराम मिश्रा, निवासी ग्राम मोती का पुरवा पहाड़पुर, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष।

बरामदगी-
01 अदद शार्प ब्लेड।

पुलिस टीम-
उ0नि0 जगयेस कुमार, का0 रामप्रकाश एवं का0 संदीप यादव, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा न्यायालय से जारी गैर जमानतीय गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार, गिरफ्तारी का विरोध कर पुलिस टीम से हाथापाई एवं कार्य सरकार में बाधा उत्पन्न करने के मामले में अभियोग पंजीकृत-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतनपुर पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की तलाश के दौरान रवि सिंह उर्फ बन्टी पुत्र वीरेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी ग्राम छानापार, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़ द्वारा जारी UPPG01-004331-2018, स्पेशल ट्रायल संख्या 90/18, मु0अ0सं0 11/2018, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट से संबंधित गैर जमानतीय गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में उसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के परिजनों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम का विरोध करते हुए वारण्टी अभियुक्त को जबरन छुड़ाने का प्रयास किया गया तथा पुलिस बल के साथ हाथापाई एवं अभद्रता कर कार्य सरकार में बाधा उत्पन्न की गई।

उक्त संबंध में उ0नि0 आकाश शुक्ला की तहरीर पर थाना फतनपुर पर मु0अ0सं0 228/2026, धारा 132/221/262 बीएनएस व 7 CLA Act बनाम रवि सिंह उर्फ बन्टी सहित अन्य नामजद एवं अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में रवि सिंह उर्फ बन्टी पुत्र वीरेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी ग्राम छानापार, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है। अन्य अभियुक्तों की भूमिका की जांच एवं गिरफ्तारी हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- रवि सिंह उर्फ बन्टी पुत्र वीरेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी ग्राम छानापार, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 आकाश शुक्ला मय रि0का0 सूरज कुमार, का0 दीपक राजभर एवं का0 सुशील पटेल, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी किया गया लोहे का जंगला बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 04.09.2026 को थाना बाघराय पर वादी पवन कुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व0 राम सजीवन विश्वकर्मा की तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों द्वारा राम वन गमन मार्ग, टेकीपट्टी स्थित वादी के दूसरे मकान में लगी लोहे की खिड़की के जंगले चोरी कर ले जाने के संबंध में मु0अ0सं0 0233/2026 धारा 305(क), 331(1) बीएनएस के अंतर्गत अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बाघराय पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 233/2026 धारा 305(क)/331(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त बिकई पुत्र अमृतलाल सरोज, निवासी ग्राम डिहवा रामदास पट्टी, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष को रामबनगमन मार्ग हाईवे स्थित छोटी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर रामबनगमन मार्ग हाईवे स्थित पुलिया के पीछे छिपाकर रखा गया चोरी का 01 अदद लोहे का जंगला बरामद किया गया। बरामद जंगले की वादी मुकदमा द्वारा मौके पर पहचान की गई, जिस पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1-बिकई पुत्र अमृतलाल सरोज, निवासी ग्राम डिहवा रामदास पट्टी, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी-
01 अदद लोहे का जंगला (चोरी का)।

पुलिस टीम-

उ0नि0 सत्यम तिवारी, रि0का0 रजनीश एवं रि0का0 विशाल कुमार यादव, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित गैंग लीडर 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 531/2026 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 में वांछित अभियुक्त शिवम वाल्मीकी पुत्र स्व0 राजेश वाल्मीकी, निवासी टक्करगंज, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष को उसके घर टक्करगंज से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1-शिवम वाल्मीकी पुत्र स्व0 राजेश वाल्मीकी, निवासी टक्करगंज, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-
शिवम वाल्मीकि पुत्र स्व0 राजेश वाल्मीकि निवासी टक्करगंज, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
1. मु0अ0सं0 104/2023 धारा 392/411 भा0द0वि0, थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 110/2023 धारा 392/411 भा0द0वि0, थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 344/2025 धारा 305/317(2)/317(4)/331(4) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 107/2026 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0 145/2026 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अमित सिंह मय का0 विलास यादव, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।